न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 15/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00208

प्रार्थी:–

बुद्धसिंह पुत्र फौजुसिंह जाति पुरोहित निवासी पुनाडिया तहसील रानी जिला पाली के वारिसान

1/1 कमलादेवी पत्नी बुद्धसिंह

1/2 दिनेशसिंह पुत्र बुद्धसिंह

1/3 महेन्द्रसिंह पुत्र बुद्धसिंह

जातिगण राजपुरोहित निवासीगण पुनाडिया तहसील रानी

1/4 प्रेम पुत्री बुद्धसिंह पत्नी ओमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धुन्धियाडी तहसील खीवसर जिला नागौर

1/5 कौशल्या पुत्री बुद्धसिंह पत्नी राजूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी एन–7 अमरबाग आशियाना, कुडी भगतासनी जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पुनाडिया तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान पंचायत समिति रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.7.2024

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान द्वारा मिसल संख्या 28 दिनांक 02.11.2012, प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 21.05.2012 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि बुद्धसिंह ग्राम पुनाडिया का स्थायी निवासी है, जहा पर प्रार्थी का मालिकाना, आधिपत्यशुदा भुखण्ड आया हुआ है जिसके पडौस उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 का रहवासी मकान, दक्षिण दिशा में गोमसिंह का प्लॉट जिसे वर्तमान में अम्बाराम द्वारा खरीद किया हुआ है, पूर्व दिशा में रतनसिंह का परिसर जिसे वर्तमान में भोपाराम द्वारा खरीद किया हुआ है तथा पश्चिम दिशा में भूखण्ड

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का दरवाजा और रास्ता है। जैर भूखण्ड उत्तर, पूर्व व दक्षिण दिशा में पडौसी मकानों की दीवारों से घिरा हुआ है। जैर भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष बिना दिनांक का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत ने 40 वर्षो का कब्जा मानते हुये नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। मिसल के संलग्न नक्शे में नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर और प्रार्थी के हस्ताक्षर ही नहीं है। मौका निरीक्षण प्रपत्र में दिनांक में कांट छांट की हुई है तथा मौके पर मकान है अथवा भूखण्ड, इस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं है। मौका निरीक्षण प्रपत्र में केवल एक वार्ड पंच के ही हस्ताक्षर है जो कोरम के अभाव में अवैध है। आपत्ति ईश्तहार में पंचायत की मोहर नहीं है और पडौस भी रिक्त छोडा हुआ है, नोटिस पर केवल 2 व्यक्तियों के अगुष्ठ निशान है। मिसल के संलग्न बयान फार्म पर बयानकर्ता के हस्ताक्षर फर्जी व गलत है जिसके सम्बन्ध में बयानकर्ता के शपथ पत्र भी पेश किये गये है। साथ ही भूखण्ड के पडौसियों ने भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि जैर भूखण्ड पर प्रार्थी का ही कब्जा है। जब जैर भूखण्ड का प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी हो रखा है, जो आज भी अस्तित्व में है तो ग्राम पंचायत उक्त भूखण्ड पर दुसरा पट्टा कैसे जारी कर सकती है। मौके पर वर्तमान में केवल भूखण्ड है कोई मकान स्थित नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी मकान का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560, 2010(3) DNJ 1147, 2018(1) DNJ 111, 2019(2) DNJ 570, 2017(2) DNJ 668, 2020 DNJ 201, 2017(2) DNJ 730, 2008(4) RLW 3648 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का पट्टा बनाने का आवेदन पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो विधिवत है। यदि मिसल में ग्राम पंचायत द्वारा कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो अप्रार्थी इसके लिये जिम्मेदार नहीं है और केवल मात्र इस आधार पर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करना यथोचित भी नहीं है। अतः जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान द्वारा मिसल संख्या 28 दिनांक 02.11.2012, प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 21.05.2012 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 के विरूद्ध पेश की है। वक्त बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 दोनो को एक ही भूखण्ड पर अलग अलग पट्टे जारी कर दिये है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत मांडल द्वारा जारी एक अन्य पट्टा संख्या 11755 जो अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत वर्ष 1975 में प्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी भूखण्ड का जारी किया गया था, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111 भी इसका समर्थन करते है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष बिना दिनांक का अंकन किये पुश्तैनी कब्जा शुदा मकान का पट्टा बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आज्ञासूची दिनांक 27.02.2012 में नक्शा बनाने एवं तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में जारी नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है तथा दक्षिण दिशा में आम्बाराम देवासी अंकित है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार दक्षिण दिशा में मेन्दाराम पुत्र लालाराम का मकान है। अर्थात् नक्शे के दक्षिण दिशा प्रर्दश और प्रार्थना पत्र में दक्षिण दिशा में अंकित पडौस विरोधाभाषी है। जैर भूखण्ड के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचो को नियुक्त किया गया था लेकिन निरीक्षण प्रपत्र पर केवल एक ही पंच के हस्ताक्षर है शेष स्थान रिक्त है। साथ ही नक्शा एवं मौका निरीक्षण प्रपत्र कब बनाये गये के सम्बन्ध में उस पर किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने दुषित प्रक्रिया अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे यथावत रखाजाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

राज. पंचायती राज. नियम 1961 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.03.2012 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर डिस्पेच नम्बर अंकित नहीं है और न ही पंचायत की गोल मोहर अंकित है। साथ ही भूमि विवरण में पश्चिम दिशा रिक्त छोडी हुई है अर्थात् पश्चिम दिशा की ओर का कोई तथ्य अंकित नहीं है। आपत्ति ईश्तहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाहो के केवल अंगुष्ठ निशान अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। मिसल के संलग्न दोनो बयानकर्ता जगाराम पुत्र नेतीजी एवं भगाराम पुत्र रावताजी द्वारा दिये गये बयान साइक्लोस्टाईल में कलमबद्ध किये गये है, जो जैर निगरानी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है।

पत्रावली के संलग्न बयानकर्ता के शपथ पत्र अनुसार जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में बयानकर्ता ने ग्राम पंचायत मे उपस्थित होकर कभी भी बयान नहीं दिये है और न ही बयानों पर उन्होने अगुंठा किया है। यदि ऐसे कोई बयान है और उस पर बयानकर्ता के अगुंठा है तो वह फर्जी है। जैर भूखण्ड प्रार्थी का मालिकाना, कब्जाशुदा है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी करता आ रहा है, अप्रार्थी संख्या 1 और उनके पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। जैर भूखण्ड पर कब्जे के सम्बन्ध में प्रस्तुत अन्य व्यक्तियों भैरूसिंह, अर्जुनसिंह,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मोतीसिंह, आम्बाराम के शपथ पत्र अनुसार भी जैर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 और उनके पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, जैर भूखण्ड प्रार्थी का मालिकाना, कब्जाशुदा है। जिससे भी स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से पंचायती राज नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जैर निगरानी भूखण्ड मौके पर केवल भूखण्ड ही है, उस पर किसी भी मकान का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है और न ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जैर निगरानी भूखण्ड पर पर कोई मकान स्थित है। अर्थात् ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ 730 - Presence of old house at the spot is necessary for granting patta under Section 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Act. भी इसका समर्थन करते है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी भूखण्ड पर पूर्व में जारी पट्टे पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष बिना दिनांक का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुश्तैनी कब्जा शुदा मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है तथा नक्शे पर दक्षिण दिशा में आम्बाराम देवासी अंकित है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दक्षिण दिशा में मेन्दाराम पुत्र लालाराम का मकान है। मौका निरीक्षण प्रपत्र पर केवल एक ही पंच के हस्ताक्षर है शेष स्थान रिक्त है। नक्शा एवं मौका निरीक्षण प्रपत्र कब बनाये गये के सम्बन्ध में उस पर किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। आपत्ति ईश्तहार पर न तो डिस्पेच नम्बर अंकित है और न ही पंचायत की गोल मोहर अंकित है। साथ ही भूमि विवरण में पश्चिम दिशा रिक्त छोडी हुई है, आपत्ति ईश्तहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाहो के केवल अंगुष्ठ निशान अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है, बयानकर्ता के बयान साइक्लोस्टाईल में कलमबद्ध किये गये है। साथ ही पत्रावली के संलग्न शपथपत्र अनुसार भी बयान पर बयानकर्ता के अगुंठा निशान नहीं है एवं अन्य शपथ पत्र अनुसार जैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थी का मालिकाना, कब्जाशुदा है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 और उनके पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसे कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मौके पर कोई मकान बना हुआ है जबकि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स अनुसार मौके पर केवल भूखण्ड है जिसका विक्रय विलेख पंचायती राज नियम 157 के तहत किया जाना विधिविरूद्ध है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान द्वारा मिसल संख्या 28 दिनांक 02.11.2012, प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 21.05.2012 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली